श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या– राँची दिनांक..............................

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक Z–13025/39/ 2015 LR Cell दिनांक– 06/04/2017 में निहित परामर्श तथा झारखण्ड में नये उद्योगों एवं व्यवसायों के त्वरित विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्यपाल "औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग" भारत सरकार द्वारा समय–समय पर यथा परिभाषित New Startup ventures में राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित श्रम अधिनियमों को निम्नानुसार प्रवर्तित करने का निदेश देते हैः–

क्रमांक	अधिनियम का नाम
1•	भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त्तो का नियमन) अधिनियम–1996
2•	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त्तो का नियमन) अधिनियम–1979
3•	उपदान भुगतान अधिनियम – 1972
4•	ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम–1970

2• स्थापना के प्रथम वर्ष में ऐसे "Start up Ventures" के द्वारा उपर्युक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऑन लाईन स्वअभिप्रमाणन समर्पित करने पर इनका निरीक्षण नहीं किया जायेगा।

3• ऐसे "Start up Ventures" के स्थापना के द्वितीय वर्ष से तथा स्थापना के पाँच वर्षो तक इनके द्वारा स्वअभिप्रमाणित ऑन लाईन विवरणी दखिल करने की स्थिति में, श्रमायुक्त या वरीय पदाधिकारियों की पुर्वानुमति से ही वैसे गंभीर प्रकृति के मामलों में इनका निरीक्षण किया जा सकेगा जिसमें श्रम अधिनियमों की अवहेलना की संम्पुष्टि योग्य परिवाद प्राप्त हुये हों।

4• यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

CRC 12492 1/8 C.R. No. ... Min. of Labour RECEIVED ON

Sh. Suraj

ज्ञापांक–2 / एफ0ए0–50–47 / 2015 श्र0नि0–...................... राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–2 / एफ0ए0–50–47 / 2015 श्र0नि0–...................... राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः–मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड, राँची / मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची / निदेशक, कृषि श्रमिक, झारखण्ड, राँची / सभी उप श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक सहित) / सभी सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक सहित) / सभी श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक सहित) / सभी कारखाना निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–2 / एफ0ए0–50–47 / 2015 श्र0नि0–1667 राँची, दिनांक 21.07.17

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / माननीय मंत्री ,श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखाण्ड के आप्त सचिव, / सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली / स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली / सभी जिला पदाधिकारी / सभी विभागाध्यक्ष / सचिव, झारखण्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, झारखण्ड, राँची / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची / महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/7/2017

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या– राँची दिनांक 18/02/16

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक Z–13025/39/ 2015 LR Cell दिनांक12/01/2016 में निहित परामर्श तथा झारखण्ड में नये उद्योगों एवं व्यवसायों के त्वरित विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्यपाल "औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग" भारत सरकार द्वारा समय–समय पर यथा परिभाषित New Startup ventures में राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित श्रम अधिनियमों को निम्नानुसार प्रवर्तित करने का निदेश देते हैः–

क्रमांक	अधिनियम का नाम
1•	भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त्तो का नियमन) अधिनियम–1996
2•	अंतर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त्तो का नियमन) अधिनियम–1979
3•	उपादान भुगतान अधिनियम – 1972
4•	ठेका मजदुर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम–1970

2• स्थापना के प्रथम वर्ष में ऐसे "Start up Ventures" के द्वारा उपर्युत्त अधिनियमों के अंतर्गत ऑन लाईन स्वअभिप्रमाणन समर्पित करने पर इनका निरीक्षण नहीं किया जायेगा।

3• ऐसे "Start up Ventures" की स्थापना की द्वितीय वर्ष से तथा स्थापना के तीन वर्षो तक इनके द्वारा स्वअभिप्रमाणित ऑन लाईन विवरणी दखिल करने की स्थित में, श्रमायुक्त या वरीय पदाधिकारियों की पुर्वानुमति से ही वैसे गंभीर प्रकृति के मामलों में इनका निरीक्षण किया जा सकेगा जिसमें इन श्रम अधिनियमों के अवहेलना की संम्पुष्टि योग्य परिवाद प्राप्त हुये हों।

4• यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

E:\MY DOCUMENT\DEEPAK SIR\DRAFTS.docx

ज्ञापांक–2/एफ0ए0–50–47/2015 श्र0नि0–........................ राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–2/एफ0ए0–50–47/2015 श्र0नि0–284 राँची, दिनांक 18/02/16

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री ,श्रम, नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखाण्ड के आप्त सचिव,/सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/स्थानीक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विभागाध्यक्ष/ सचिव, झारखण्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची/महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/02/2016

सरकार के अवर सचिव।

E:\MY DOCUMENT\DEEPAK SIR\DRAFTS.docx